कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन (म.प्र.)

e-mail wrdkhargone@gmail.com Cont. No. 07282-241220

पत्र कमांक295/कार्य/रोशिया–वन./2022 खरगोन, दिनांक 6/09/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल.

विषयः– जिला खण्डवा एवं जिला खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वन मण्डल, खण्डवा की 36.315 हेक्टर वनभूमि एवं वनमण्डल, खरगोन की 3.40 हेक्टर वनभूमि कुल 39.715 हेक्टर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबद।

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमाक–6–MPCO54/2021–BHO/13.10.2021

2. आपका पत्र कमांक F-3/50/2014/10–11/15/3854/भोपाल, दिनांक 22.11.2021

---000---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संभाग अधीन विकासखण्ड, भीकनगॉव में स्वीकृत रेाशिया तालाब योजना से 39.715 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होती है। प्रभावित वनभूमि के प्रस्तुत वन प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के माध्यम से 05 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

अतः वांछित बिन्दुवार जानकारी का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

(1) सरपंच, ग्राम नावली जनपद पंचायत, छेगांव माखन एवं सरपंच ग्राम पंचायत बन्झर, जनपद पंचायत, भीकनगांव का ग्राम सभा का सहमति पत्र, ठहराव प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है।

(2) योजना के निर्माण के आचित्य का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(3) योजना से प्रभावित ट्रान्समिशन लाईनों की शिफ्टिंग के संबंध में कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब (संधा.) संभाग, म.प्र.पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी, इन्दौर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

निरन्तर ......2....

Scanned with CamScanner

(4) योजना से प्रभावित वनभूमि के संबंध में संभागीय प्रबन्धक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़, खण्डवा परियोजना मण्डल, खण्डवा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है, प्रमाण–पत्र अपेक्षित है। प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में किये गये पत्राचार की छायाप्रति संलग्न है।

(5) योजना के बांध अक्ष, डूब क्षैत्र और गैर वनभूमि सहित प्रस्तावित डायवर्शन क्षैत्र की संशोधित KML संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रकरण संबंध में अग्रिम कार्यवाही का कष्ट करेगें।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

पृ कमांक 2952 /कार्य/रोशिया–वन./2022 खरगोन, दिनांक 6/08/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षैत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्वा/खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भीकनगॉव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि योजना के प्रथम चरण की स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

Scanned with CamScanner